Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **करौली में पटवारी 6 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *03 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **पूरन चंद खारवाल पटवारी, पटवार हल्का सायपुर व गुनेसरा, तहसील व जिला करौली** को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तकरण खोलने की एवज में आरोपी पूरन चंद खारवाल पटवारी द्वारा **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की करौली इकाई के **प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी पूरन चंद खारवाल पटवारी को परिवादी से **6 हजार 500 रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **1500 रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल किये जा चुके हैं।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।